भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1181

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने हेतु मानदंड

1181. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को मान्यता देने के लिए अपनाए जा रहे/पालन किए जा रहे वर्तमान मानदंडों/मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए उक्त मानदंड/मानकों को संशोधित किया गया है ताकि ऐसी मान्यता प्राप्त करना कठिन हो जाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए संशोधित मानदंडों/मानकों के कारण कई आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की मान्यता रद्द होने का खतरा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे महाविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(च) सरकार का कब तक इन महाविद्यालयों की निरीक्षण प्रक्रिया शुरू करने का विचार है; और

(छ) क्या सभी आयुर्वेदिक महाविद्यालयों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसे महाविद्यालयों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): वर्तमान मानदंड/मानक/विनियम जिनका अनुपालन भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, जो देश में आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक नियामक निकाय है, द्वारा किया जा रहा है, निम्नलिखित हैं-

- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (आयुर्वेद कॉलेजों और संलग्न अस्पतालों की न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016।
  (विवरण दिए गए लिंक में उपलब्ध है: - https://ncismindia.org/pdf/rul-reg-msr-2016-9-7.pdf
- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन विनियम, 2019। (विवरण दिए गए लिंक में उपलब्ध है: - https://ncismindia.org/pdf/rul-reg-mse-ay-2019.pdf).
- स्नातक आयुर्वेद शिक्षा विनियम, 2022 के न्यूनतम मानक।

(विवरण दिए गए लिंक में उपलब्ध है: https://ncismindia.org/MSE%202022%20Ayurveda%20NCISM%20Gazette%20notification.pdf)

- नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अध्ययन या प्रशिक्षण के नए या उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि विनियम, 2019।
  (विवरण दिए गए लिंक में उपलब्ध है: - https://ncismindia.org/pdf/regulation%2013A.pdf)

(ख) से (ङ): उक्त मानदंडों/मानकों को अभी संशोधित नहीं किया गया है। संशोधित विनियम का उद्देश्य सभी आयुर्वेद कॉलेजों के मानकों का उत्थान करना है।

(च): शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कॉलेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) के चिकित्सा आकलन एवं प्रत्यायन बोर्ड द्वारा पहले ही शुरू कर दी गई है, जो एनसीआईएसएम के तहत एक नियामक बोर्ड है।

(छ): एनसीआईएसएम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक चार सौ तिरपन आयुर्वेद कॉलेजों ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए संपर्क के उद्देश्य से अपना पार्ट -1 प्रोफार्मा प्रस्तुत किया है। प्रक्रिया चल रही है।

*****